::आदेश::

कोरोनावायरस (COVID-19) के संक्रमण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 217/UKMFWS/PS-MDNNM/2019-20 दिनांक 22.03.2020 के क्रम में पारित इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या: 2106/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 22.03.20 व आदेश संख्या: 2110/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 23.03.2020 तथा आदेश संख्या 2117/सीपीओ–डीएम– 2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में निम्नलिखित शर्ते शामिल करते हुए दिनांक 26.03.2020 के लिए निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते है कि:–

1– प्रातः 07 बजे से पूर्वान्ह 10 बजे तक आवश्यक सेवाओ से सम्बन्धित दुकाने पूर्व की भॉति खुली रहेगी।

2– पूर्वान्ह 10 बजे से सांय: 05 बजे तक उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार होम डिलीवरी हेतु बुकिंग करायी जा सकेगी। उक्त आपूर्तिकर्ता को सायं: 06 बजे तक आवागमन में छूट रहेगी।

3– ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं खाने बनाने में सक्षम नहीं है तथा ऐसे विद्यार्थी जिनके पास खाने बनाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस विषयक जानकारी व समाधान हेतु वरिष्ठ नागरिको के मामले में श्री गणेश कण्डवाल, अभिहित अधिकारी (मो0–9412052143) तथा छात्र–छात्राओं के समस्या समाधान हेतु सुश्री सोनिया पन्त, उप नगर आयुक्त, नगर निगम (मो0–9411338683), देहरादून को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऐसे लोग उक्त नोडल अधिकारियों के नम्बर के अतिरिक्त पुलिस कन्ट्रोल रूम के नम्बर–0135–2722100 पर भी आवश्यक सूचना दे सकते है।

4– ऐसे पशुपालक जिन्हे पशुओ हेतु भूसा/चारा की आवश्यकता है। इस विषयक पृच्छाओ के समाधान व समस्याओ के निराकरण हेतु डॉ0 एस.वी.पाण्डे, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (मो0–9412108130), देहरादून को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

5– कृषि बीज, खाद तथा कृषि रक्षा रसायन, सहकारी संस्थाओ एवं निजी विक्रेताओं की दुकानें व अधिष्ठान भी आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित है, जो प्रातः 07 बजे से पूर्वान्ह 10 बजे तक खुली रहेगी।

6– औषधी एवं फॉर्मासूटिकल्स व ऐसे उत्पादन इकाईया जिनमें Continuous process अपरिहार्य है, में तैनात अधिकारी, कर्मचारी एवं श्रमिकों तथा सुरक्षा–कर्मियो को पास निर्गत करने हेतु श्री लोकजीत सिंह, (सम्पर्क सूत्र–पुलिस कंट्रोल–0135–2722100 तथा WhatsApp no. 9756188600) पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, जनपद–देहरादून को अधिकृत किया गया है।

7– अन्य आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभाग व संस्थानों को पास निर्गमन हेतु श्री रामजी शरण शर्मा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून (सम्पर्क सूत्र–आपदा कन्ट्रोल–0135–2626066, 2726066 तथा WhatsApp no. 7534826066) को अधिकृत किया गया है। पास हेतु आवेदन की सुविधा dehradun.gov.in/dehradun.nic.in वैब साइड पर उपलब्ध है।

Scanned with CamScanner

8— समस्त नगर निगम एवं समस्त नगर पालिकाये अपने—अपने क्षेत्रो की सब्जी मण्डियो में एक मीटर की दूरी पर इस प्रकार निशान लगवा दे ताकि सामाजिक दूरी सम्बन्धी निर्देशो का पूर्णतः अनुपालन हो सके।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या : 214 /सीपीओ—डीएम—2020 दिनांक : 25, मार्च, 2020

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही व अनुपालनार्थ प्रेषित।

1— मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2— अपर मुख्य सचिव महोदय—मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3— सचिव महोदय, मा0 श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4— सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5— आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
7— अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), देहरादून।
8— सिटी मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद—देहरादून।
9— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
10—श्री लोकजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, देहरादून।
11—श्री गणेश कण्डवाल, अभिहित अधिकारी, देहरादून।
12—सुश्री सोनिया पन्त, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
13—डॉ0 एस.वी.पाण्डे, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
14—मुख्य कृषि अधिकारी, देहरादून।
15—जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

Scanned with CamScanner